वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता

लेखक - रजत कथूरिया (निदेशक और मुख्य कार्यकारी, ICRIER)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

20 अगस्त, 2019

"व्यापारिक अर्थशास्त्रियों के दिमाग में एक सवाल यह है कि क्या डब्ल्यूटीओ बचाए जाने के लायक है। प्रश्न का मूल्यांकन करने का सही तरीका इसकी उपलब्धियों की जाँच करना है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अतीत भविष्य का एक अधूरा मार्गदर्शक होता है।"

हमारे स्वतंत्रता दिवस पर वाशिंगटन ने झटका देते हुए भारत (और चीन भी) को 'विकासशील राष्ट्रों' की श्रेणी से हटा दिया। एक क्षण के लिए, भारत और चीन दोनों ही इस टैग से छुटकारा पाकर प्रसन्न होंगे, लेकिन यह समय प्रसन्न होने का नहीं है। यह समय वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत करने का है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पुराने विश्वास को दोहराते हुए कहा कि भारत और चीन ने विकासशील देश टैग का दुरुपयोग करके काफी लाभ कमाया है, इसलिए ऐसे देशों को विशेषाधिकारों से वंचित करना ही सब के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा, उन्होंने इस चूक के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को भी दोषी ठहराया और दुनिया के सबसे बड़े बहुपक्षीय मंच को छोड़ने की धमकी भी दे डाली।

इस बीच, चीन का मानना है कि पश्चिमी शक्तियों द्वारा सदियों तक उनका तिरस्कार किया गया है जिसके कारण उनके राष्ट्रीय मानस पर गहरा असर पड़ा है। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति इनके साथ हुए तिरस्कार को सुधारने का एक अवसर प्रस्तुत करती है। अमेरिका के संदर्भ में, अब उसे इस बात का डर है कि कम से कम तीन दशकों से कायम उसका प्रभुत्व कहीं खत्म न हो जाये। चीन की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और अमेरिका की आशंका इनके द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित कर रही है और उस संस्था को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा रही है जो WWII की अवधि के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था के व्यापार, विकास और स्थिरता का कारण बना हुआ है।

व्यापारिक अर्थशास्त्रियों के दिमाग में एक सवाल यह है कि क्या डब्ल्यूटीओ बचाए जाने के लायक है। प्रश्न का मूल्यांकन करने का सही तरीका इसकी उपलब्धियों की जाँच करना है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अतीत भविष्य का एक अधूरा मार्गदर्शक होता है। डब्ल्यूटीओ के 1995 में अस्तित्व में आने के बाद से, दुनिया में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। नई तकनीकों ने हमारे जीने, संवाद और व्यापार करने के तरीके को बदल दिया है।

1995 में, दुनिया की 0.8 प्रतिशत से कम आबादी ने इंटरनेट का उपयोग किया; जून, 2019 में यह करीब 57 फीसदी तक पहुँच गयी थी। संचार प्रौद्योगिकियों और कंटेनरीकरण (कंटेनरों में वस्तुओं का परिवहन) ने लागत को कम कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी स्तर पर उत्पादन श्रृंखलाओं में आगे बढ़ने वाले घटकों की मात्रा बढ़ गई, जिसने उत्पादन श्रृंखलाओं को तेजी से और बहुत अधिक जटिल बना दिया। उदाहरण के लिए, एक iPhone के लगभग 14 मुख्य घटक हैं जो 7-8 बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा 40 से अधिक देशों में निर्मित होते हैं।

1995 के बाद से कुल मिलाकर वस्तुओं का व्यापार लगभग चौगुना हो गया है, जबकि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के आयात शुल्क में औसतन 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। विश्व व्यापार का आधा हिस्सा अब टैरिफ-मुक्त (डब्ल्यूटीओ, 2015) है। व्यापार में वृद्धि विश्व जीडीपी में वृद्धि को पार कर गई है और यह जीवन स्तर में सुधार के साथ जुड़ा हुआ है। आज, विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्यों के बीच वैश्विक व्यापार प्रवाह के 98 प्रतिशत से अधिक को नियंत्रित करता है।

यह मुक्त व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है, वैश्विक व्यापार और आर्थिक नीति पर अनुसंधान का

उत्पादन करता है और राष्ट्रों के बीच व्यापार विवाद को निपटाने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। डब्ल्यूटीओ की सफलता को देखने का एक वैकल्पिक तरीका यह भी है कि इस पर ध्यान केंद्रित न करें कि उसने कितना व्यापार बनाने में मदद् की है और कितनी टैरिफ में कटौती की है, बल्कि यह देखना है कि इसने व्यापार मूल्य में हुए नुकसान से निपटने में औसतन कितनी मदद् की है। एक अनुमान के अंतर्गत, प्रति वर्ष 340 बिलियन डॉलर मूल्य के व्यापार युद्धों को टालने में यह सफल रहा है।

जब जुलाई, 2018 में यूएस-चीन व्यापार संघर्ष शुरू हुआ, तो कई लोग यह मानने लगे थे कि यह लड़ाई अस्थायी रहेगी और अमेरिका की आक्रामकता धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। अमेरिका ने पहले सुपर-301 कानून का इस्तेमाल विशिष्ट देशों को अनुचित व्यापारियों के रूप में नामित करने के लिए किया था और उन पर उच्च टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। कुछ देशों ने वृद्धि से बचने के लिए अमेरिकी दबाव का अनुपालन किया, जबकि अन्य देश जैसे भारत और ब्राजील ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के तहत बातचीत करने से इनकार कर दिया।

वर्तमान उदाहरण में, न तो इसकी संभावना है कि अमेरिका अपनी प्रकृति के उलट कार्य करेगा और न ही इसकी संभावना है कि चीन (या भारत) इसके आगे झुकने को तैयार होंगे। इसके अलावा, भारत के लिए विकासशील देशों में विश्व व्यापार संगठन के बिना व्यापार करना संभव नहीं है।

अमेरिका की अनुचित व्यापार प्रथाओं की एकतरफा जाँच और अमेरिका द्वारा अपनी स्वयं की डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताओं को नजरअंदाज करना अन्य देशों को उच्च नैतिक आधार पर रखता है। नियमों के तहत, एक नियम को एकतरफा के रूप में परिभाषित तब किया जाता है, जब यह डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान प्रक्रियाओं या अन्य बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रक्रियाओं को लागू किए बिना किसी देश द्वारा स्वयं लगाया जाता है, जो पूरी तरह से देश के अपने मानदंडों को लागू करने पर आधारित होता है। एकतरफा नियम, बहुपक्षवाद के शब्द और भावना के साथ असंगत है। विवाद निपटान समझौता (DSU) का अनुच्छेद-23 स्पष्ट रूप से सदस्यों को ऐसा करने से रोकता है।

एक गहन व्याख्या यह भी है कि अमेरिका अपनी शक्ति का उपयोग सभी के लाभ के लिए व्यापार प्रणाली को अनुशासित करने हेतु कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि चीन (और भारत) लंबे समय से मुक्त व्यापार शासन का लाभ उठा रहे हैं, जबकि खुद सब्सिडी, देश के स्वामित्व वाले उद्यमों और बौद्धिक संपदा पर अपारदर्शी हैं और जब से विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान निष्क्रिय हो गया है और अपीलीय निकाय (एबी) अपील निपटान के लिए निर्धारित 90 दिनों से अधिक समय ले रहा है, तब से मामलों को अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया है, जो अच्छा करने के नाम पर सौम्य तानाशाही का एक हिस्सा है।

बहुपक्षीय प्रक्रिया को अपने वश में करने का कोई औचित्य नहीं है, विशेष रूप से ऐसे देश द्वारा जो इसे पहले स्थान पर एक साथ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसके अलावा, अपीलीय निकाय दिसंबर में कार्य करना बंद कर देगा, जब तक कि अमेरिका तीन सदस्यों के आवश्यक कोरम को बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन नियुक्त करने के लिए सहमत नहीं हो जाता। अपीलीय निकाय के बिना, इसका कानून जंगल का कानून बन जायेगा, कमजोर देशों को नुकसान पहुंचाएगा और पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नष्ट कर देगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुपक्षीय प्रक्रिया को दृढ़ बनाने की आवश्यकता है और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सबसे मजबूत सदस्य को इसमें निहित न किया जाए। बहुपक्षवाद का तात्पर्य है कि हर देश खुद को अन्य छोटे देशों के समान नियमों में बांधने के लिए सहमत होता है, जब वह स्व-हित के साथ संघर्ष करता है। जाहिर है, पहले की तुलना में व्यापार अब और भी अधिक जटिल बन गया है; मानकों पर आम सहमति बनाने के लिए 164 सदस्यों के बीच बातचीत सबसे कठिन है।

बहुपक्षीय समझौता अभी भी सबसे अच्छा विकल्प है। सही बहुपक्षीय वार्ता की अनुपस्थिति में, इच्छुक सदस्य बहुपक्षीय परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय बातचीत कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन अभी भी वैश्विक व्यापार प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। **जैसा कि मिर्जा गालिब ने कहा है कि: रंज से खूगर हुआ इंसाँ तो मिट जाता है रंज/मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसाँ हो गयीं........**

विश्व व्यापार संगठन

परिचय

- विश्व व्यापार संगठन विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना 1995 में मार्राकेश संधि के तहत की गई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं। 29 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना था।
- सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मलेन इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।
- भारत इसका एक संस्थापक सदस्य देश है। चीन इसमें 2001 में शामिल हुआ था।

उद्देश्य

- इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी तथा अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना है।
- विश्व व्यापार संगठन ठोस कानूनी तंत्र पर आधारित है। इसके समझौतों की सदस्य देशों के सांसदों द्वारा पुष्टि की गई है।
- विश्व व्यापार संगठन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। महत्त्वपूर्ण फैसले सदस्य देशों के निर्दिष्ट मंत्रियों द्वारा किये जाते हैं। ये मंत्री हर दो साल में कम-से-कम एक बार जरुर मिलते हैं।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के पास विभिन्न देशों के व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने की शक्ति प्राप्त है।

कार्य

- विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएँ प्रदान करना।
- व्यापार एवं प्रशुल्क से सम्बंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार-विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना।
- विवादों के निपटारे से सम्बंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना।
- व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से सम्बंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना।
- वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक से सहयोग करना, तथा विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना।

Committed To E

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1- **WTO के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. WTO की स्थापना 1995 में हुई है।
2. वर्तमान में WTO सदस्य देशों की संख्या 164 है।
3. WTO के अपीलीय निकाय के पास अपील निपटान के लिए 120 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।
4. विवाद निपटान समझौता का उल्लेख WTO के अनुच्छेद-23 में किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4

(c) 1, 2 और 4 (d) 1, 3 और 4

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements -**

1. WTO was established in 1995.
2. At present the number of member countries of WTO is 164.
3. 120 days has been decided for the period of appeal redressal for Appellete Body of WTO.
4. The Dispute Redressal Agreement has been mentioned in the Article- 23 of WTO.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1, 2 and 3 (b) 2, 3 and 4

(c) 1, 2 and 4 (d) 1, 3 and 4

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः हाल ही में अमेरिका ने WTO की सदस्यता छोड़ने की चेतावनी दी है; वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए WTO के महत्ता को रेखांकित कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. Recently America has threatened to leave the membership of WTO, Underline the importance of WTO in the present context. **(250Words)**

नोट : 19 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

Com